नि0- 5128 /2018/ सतना / भू रा0 (7)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

खण्डपीठ रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

पेश श्री आर.एम. देव द्वारा पेश
23.8.18

छोटटन सिंह उर्फ अशोक सिंह तनय रामसिंह कछवाह निवासी पतेरी अमौधा सतना तहसील रघुराजनगर, जिला सतना म0प्र0--------------------निगराकार

बनाम

श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री बद्री प्रसाद गौतम पत्नी श्री उमाशंकर शुक्ला निवासी ग्राम बैरहना तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0-------------गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध रा0नि0मण्डल सोहावल तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक-115अ12/14-15 आदेश दिनांक 30.09.2015 के बाबत्।

मान्यवर,

निगराकार अधीनस्थ रा0नि0महोदय के सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 30.09.2015 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके वाक्यात इस प्रकार हैं कि गैर निगराकार/आवेदिका द्वारा ग्राम अमौधा रा0मण्डल सोहावल स्थित आ0नं0-695/4/1 रकबा 0.012हे0 भू-भाग का अभिलिखित स्वामी होना बताकर गैर निगराकार ने सीमांकन म0प्र0भू0रा0सं0 की धारा 129 अन्तर्गत प्रस्तुत किया, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध पश्चात हल्का पटवारी को दिये गये निर्देश अनुसार मौके से पंचनामा एवं फील्डबुक तैयार करना कहतें हुये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और उक्त प्रतिवेदन की पुष्टि आदेश से क्षुब्ध होकर निगराकार यह निगरानी प्रस्तुत कर रहा है।

Conti......2

(7)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक RS128 (अ.रि.)/2018 जिला सतना

छोटेलाल सिंह विरूद्ध पुष्पा देवी

1	2	3
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री सुनील पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त- सोहावल तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 115/अ-12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 30-09-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25-03-2019 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	